कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3926/2020 राजीव तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि नरानावास जिला जालौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 द्वारा याचिकार्थी श्री राजीव तिवारी को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 10 दिवस के भीतर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता के लकवाग्रस्त होने के कारण पूर्णतया याचिकार्थी पर निर्भर होने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन राउमावि अंगारी, थानागाजी जिला अलवर/राउमावि गढी सवाईराम, रैणी जिला अलवर/राउमावि गहनकर, नगर जिला भरतपुर/राउमावि सेमला कलां, नगर जिला भरतपुर/राउमावि खाखावाली जिला भरतपुर अथवा राउमावि भैंसदावत, लक्ष्मणगढ जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं याचिकार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकार्थी श्री राजीव तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि नारानावास जिला जालौर के अभ्यावेदन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका पदस्थापन राउमावि सेमला कलां जिला भरतपुर (217011) किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/राजीव तिवारी/3926/2020 दिनांकः 13/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली/भरतपुर संभाग, पाली/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर/भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर/भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. श्री राजीव तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि नारानावास को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)